न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(52)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/6218 विरूद्ध आदेश दिनांक 1-6-17 पारित द्वारा अधीक्षक, भू-अभिलेख, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 2/2017x19/11.

सुधांशु दत्त पुत्र विमल किशोर
निवासी 13 नंबर लाईन
बिरला नगर, ग्वालियर

.....आवेदक

निरंजनलाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद
निवासी 26 लाईन नंबर 13
बिरला नगर, ग्वालियर

ओंकार सिंह भदौरिया
पुत्र जगदेव सिंह भदौरिया
निवासी 26 लाईन नंबर 13
बिरला नगर, ग्वालियर

.....फॉर्मल

विरूद्ध

.....फॉर्मल

चिरौंजीलाल शिवहरे पुत्र चुन्नीलाल शिवहरे
निवासी एम. 40, गांधी नगर, ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक पक्ष
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक पक्ष

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/3/19 **को पारित)**

आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक, भू-अभिलेख, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-6-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम गौसपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 129, 130, 131, 134, 135 मिन-1, 136 मिन-1 में से 43830 वर्गफुट है, जिसका उसके द्वारा दिनांक 12-11-2014 एवं 29-7-2014 को तहसीलदार के माध्यम से सीमांकन कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की गई । उक्त दोनों रिपोर्ट में भिन्नता होने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होकर उसका रकबा भी कम हो रहा है है, अत: प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु जिला स्तरीय गठित दल के माध्यम से टोटल मशीन द्वारा सीमांकन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/2017x19/11 दर्ज कर सीमांकन दल गठित किया गया एवं गठित सीमांकन द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर स्थल पंचनामा, फील्डबुक मय सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 1-6-617 को सीमांकन आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि की गई । अधीक्षक, भू-अभिलेख के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर सीमांकन आदेश की पुष्टि की गई है । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में व्यक्तिश: सूचना पत्र की तामील कराई जाना आवश्यक है, जबकि सीमांकन दल द्वारा आवेदकगण को सीमांकन के संबंध में कोई व्यक्तिश: सूचना पत्र की तामील कराये बिना, उनके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि एक तरफ आवेदकगण के जे.सी. मिल के क्वार्टर तथा दूसरी तरफ अनावेदक की भूमि है, उन दोनों के बीच में सरकारी नाला है और अनावेदक की बाउण्ड्रीवॉल नाले की दूसरी तरफ है । ऐसी स्थिति में आवेदकगण का अवैध कब्जा दिखाया जाना त्रुटिपूर्ण है तथा मौके के स्थिति के अनुरूप नहीं है । अत: स्पष्ट है कि सीमांकन दल द्वारा विधिवत खसरे एवं नक्शे से मिलान कर विधिवत सीमांकन नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ द्वारा बोधगम्य एवं बोलता हुआ आदेश पारित नहीं कर, अस्पष्ट एवं कानून की मनमानी करते हुए आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दल द्वारा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों एवं मेडिया कृषकों को सूचना दी जाकर, उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन दल

द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदक पक्ष का अवैध कब्जा पाया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दल द्वारा विधिवत सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन अधीक्षक, भू-अभिलेख को प्रस्तुत किया है, जिसकी पुष्टि करने में अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दिनांक 12-11-14 एवं 29-5-16 को सीमांकन हुए हैं, जिन्हें कोई चुनौती नहीं दी गई है । अनावेदक द्वारा तीसरी बार प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराने की मांग की गई है । अतः अधीक्षक, भू-अभिलेख को तीसरा सीमांकन करने के पूर्व पहले के सीमांकन की कमियों को देखना चाहिए था । पहले जो सीमांकन हुए हैं, उनमें मेडिया कृषकों को सूचना दी गई है थी, किन्तु तीसरी बार किए गए सीमांकन में मेडिया कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई है । अतः अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अंतर्गत अधीक्षक, भू-अभिलेख, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-6-17 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

सीडर

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर